


02.12.2024:—पत्रावली आज प्रार्थी अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र पर पेशी मे लिया गया। प्रार्थी का मूल वादपत्र अदम पैरवी/अदम हाजरी मे खारिज हो चुका है। वादी का मूल वादपत्र अदम पैरवी/अदम हाजरी मे खारिज होने के कारण प्रार्थना-पत्र 212 आर.टी.ए मे कोई कार्यवाही शेष नही रह जाती। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।


सहायक कलेक्टर
एवं अप्पण्डाधिकारी
हनुमानगढ

